# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2022/452**

मिसल नम्बर– 98 / 2022

1.उमेश जंगम आत्मज स्व0 बाबूलाल जंगम आयु 58 वर्ष
2.श्रीमती विमला पत्नी उमेश जंगम आयु 55 वर्ष जाति जंगम निवासीगण मकान नं0 233 आदर्श नगर खेड़ली फाटक कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.हेमंत जंगम आत्मज उमेश जंगम आयु 31 वर्ष
2.श्रीमती निर्मला पत्नी हेमंत जंगम आयु 29 वर्ष जाति जंगम निवासीगण मकान नं0 233 आदर्श नगर खेड़ली फाटक कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/10/2025

उपस्थिति:–

1.श्री पृथ्वीराज सिंह शक्तावत प्रार्थीगण अधिवक्ता
2.श्री मनमीत सिंह सोनी अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण बुजुर्ग दम्पत्ति है प्रार्थीगण अक्सर बीमार रहते है। प्रार्थीगण के वारिसान में अप्रार्थीगण के अतिरिक्त एक पुत्री प्रिया है जो विवाहित है और अजमेर मे अपने ससुराल मे निवास करती है प्रार्थीगण का एक छोटा पुत्र महेन्द्र अविवाहित है जो प्रार्थीगण पर निर्भर है और उनके साथ निवास करता है और कारोबार में हाथ बंटा रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 का विवाह आप्रार्थी क्रम 2 के साथ 7 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था विवाह के कुछ समय पश्चात से ही प्रार्थीगण से अनुचित व्यवहार अप्रार्थीगण करने लग गए बार बार लडाई झगडो पर आमादा हो जाना, मारपीट करने की कोशिश करना बेइज्जत करना आदि हरकते आए दिन होती रहती थी इसलिए लड झगड कर आज से ढाई वर्ष पूर्व पीहर चली गयी थी जिसे बडी मुश्किल से समझा कर परिवार को इकटठा कर लेकर आए ताकि अप्रार्थीगण का घर ना बिगडे लेकिन आने के बाद से उसकी हरकते पहले से ज्यादा बढ गयी और उसका स्वभाव क्रर होता चला गया। अप्रार्थीगण को समझाने कई बार परिवारजन निवास सीन पर आए समझाने का प्रयास किया लेकिन अप्रार्थीगण के कोई बात समझ नही आयी बार बार अप्रार्थीगण यह कहते थे कि हमे कोई भी रोजगार की व्यवस्था करवाओ वरना घर की अव्यवस्था बनी रहेगी घर का वातावरण खराब रहेगा। प्रार्थीगण ने कई बार समझाया कि जो व्यवसाय मेरे द्वारा किया जा रहा है उसको संभाल लो अथवा किसी ओर के पास सीखने लग जाओ लेकिन इन्ही बातो को लेकर अप्रार्थी नं 2

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उत्सुक हो जाती है लडाई झगडा करने लगती है यहां तक कि प्रार्थी क्रम 2 को मुंह के सामने यह बोलती है कि मरती क्यो नही है तेरे मर जाने से घर मे सूकुन से रह सकूगी। अप्रार्थीगण का पुत्र जो 6 वर्ष का है इससे बातचीत करने पर उससे मारपीट करती है पूर्व में भी प्रार्थी क्रम 2 के साथ अप्रार्थी क्रम 2 धक्का देकर गिरा चुकी है और अभी बिना बात ही प्रार्थीगण के छोटे पुत्र के साथ लडाई झगडा करके पुलिस थाना भीमगंजमण्डी कोटा चला गया और उस पर यह आरोप लगाया कि इसने मेरे कपडे फाड दिए मेरी इज्जत से खिलवाड करना चाह रहा था यह सुनकर दोनो प्रार्थीगण को धक्का लगा ओर थानाधिकारी से हाथ जोडकर प्रार्थना की यह मामला झूठा है तब जाकर थानाधिकारी ने उसको शांतिभंग मे पेश किया तब से ही अपने छोटे पुत्र को घर से बाहर किसी ओर के घर पर रूकवा रखा है। क्योकि अप्रार्थी नं 2 ने धमकी दे रखी है कि ज्यों ही वह घर मे आए उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवांउगी मारपीट का झूठा मेडिकल करवाकर केस लगाउंगी प्रार्थीगण को भी बार बार यह बोलती है कि मरते क्यो नही है नही मरते तो घर से निकालो जिसमे अप्रार्थी नं 1 उसका पूरा पूरा सहयोग करता है इसी तरह चलता रहा तो कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है और अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ घटना कारित कर सकते है। प्रार्थीगण अक्सर बीमार रहते है स्वंय अपना खाना पीना करते है और स्वंय के लिए गृहस्थी चलाने के लिए मजदूरियां करनी पडती है प्रार्थीगण अक्सर बीमार रहते है चलने फिरने मे असमर्थ है प्रार्थीगण ने मेहनत मजदूरी से एक एक पाई जोडकर उक्त मकान को निर्मित किया है जिसका रजिस्ट्री पटटा करवाकर पंजीयन करवाया है। पहले से प्रार्थीगण के उपर कर्ज चला आ रहा है उपर से अप्रार्थीगण मकान से बेदखल कर उसे बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण आए दिन लडाई झगडा करते है तथा अप्रार्थी नं 2 झूठे प्रकरण दर्ज करवाती रहती है अगर उन्हे बेदखल नही किया गया तो वह वह कोई भी बडी घटना कारित कर सकते है। अप्रार्थीगण मौके की तलाश मे रहते है और कई बार प्रार्थीगण के साथ हाथापाई कर चुके है इसलिए डर रहता है कि बुढापे मे बडी घटना कारित नही कर देवें पूर्व मे अप्रार्थीगण के प्रार्थी नं 2 को दिन मे अकेला देखकर दिनाक 28–8–2022 को उसके साथ डण्डे से मारपीट कर दी जो जोर जोर से दर्द से चिल्ला रही थी जैसे ही मजदूरी करके प्रार्थी आया तो उसे पास की डिस्पेन्सरी मे इलाज करवाने ले गया दवा आदि दिलायी गयी और फिर संबन्धित थानाधिकारी को रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास किया गया लेकिन थानाधिकारी ने यह कहते हुए कि यह पारिवारिक मामला है न्यायालय मे जाओ उच्चाधिकारियो को भी लिखित मे भी देने का प्रयास किया। इसी तरह दिनांक 28–8–2022 को प्रार्थीगण से कहा कि मकान का असल दस्तावेज मुझे दो मे इसका बेचान करूंगा अथवा गिरवी रखूंगा क्योकि मुझे रूपये चाहिए तो प्रार्थीगण ने मना कर दिया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ डण्डो से हाथो से मारपीट की जिसकी रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया लेकिन परिवार की बात कहकर रिपोर्ट दर्ज नही की। बल्कि अप्रार्थीगण को बुलाकर वापस छोड दिया। तब से हमारा जीना हराम कर रखा है। अप्रार्थीगण के उपरोक्त कृत्यो से प्रार्थीगण का अपने मकान मे निवास करना जोखिम भरा हो गया है प्रार्थीगण को भय है कि अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थीगण से गंभीर वारदात कर सकते है इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के मकान से निष्कासित करने के आदेश अविलम्ब पारित किए जावे ताकि प्रार्थीगण अपने मकान मे शान्तिपूर्वक शेष बचा जीवन व्यतीत कर सके और शांति से निवास कर सके इसलिए प्रार्थना प्रत्र पेश किया जा रहा है जो सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

र इनिशियल्स जज

हुक्म की तामील में जारी हुए

है कि अप्रार्थी नं 1 व 2 को प्रार्थीगण के मकान से बेदखल किया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने मकान मे शान्तिपूर्वक निवास कर सकेगें

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तामील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी क्रम 2 के साथ प्रार्थीगण का व्यवहार विवाह के पश्चात से ही क्रूर तथा झगड़ालू प्रवृति का रहा है तथा बात–बात पर अप्रार्थी क्रम 2 के पीहर पक्ष को लेकर दहेज की मांग को लेकर ताने मारते तथा उसके साथ भद्दी–भद्दी गालियों का प्रयोग किया जाता । जिसे अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा अच्छे परिवार की तथा शिक्षित परिवार की होने के कारण और अपनी ससुराल की इज्जत बचाने के कारण सहन करती रही और किसी प्रकार का जवाब अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा प्रार्थीगण को नही दिया गया। अप्रार्थी क्रम 1 विवाह के पश्चात से ही अपना अलग से रोजगार करता है तथा अपने परिवार का लालन–पालन पोषण करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से कभी भी रोजगार को लेकर किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 को अकेला पाकर अप्रार्थी क्रम 2 के देवर महेन्द्र द्वारा गाली गलौच की गई तथा अप्रार्थी क्रम 2 के साथ मारपीट की जमीन पर पटक कर उसका गला दबाया गया जिससे बचने के लिये अप्रार्थी क्रम 2 नंगे पाव भीमगंजमण्डी थाने भागकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी तथा अपने परिवार की इज्जत को बचाने के खातिर अपने देवर को सिर्फ पाबन्द करवाया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा सदैव प्रार्थीगण की इज्जत की है और सम्मान किया है। प्रार्थी क्रम 1 स्वयं अपना निजी व्यवसाय करते है। प्रार्थी क्रम 1 को मकान उनके पिता द्वारा दिया गया है। जिसकी रजिस्ट्री भी प्रार्थी क्रम 1 के पिता के नाम पर है। प्रार्थी क्रम 1 के पिता द्वारा अपने दोनो पुत्रो को समान सम्पत्ति का विभाजन किया था जिससे प्रार्थी क्रम 1 को यह मकान प्राप्त हुआ है। प्रार्थी क्रम 1 द्वारा किसी प्रकार की कोई पाई–पाई जोड़कर मकान क्रय नही किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से सिर्फ मकान में कन्स्ट्रक्शन के कार्य के लिये बोला जाता है। क्योकि अप्रार्थीगण का कमरा पीछे की तरफ मकान में है और उन्हे बार–बार प्रार्थीगण के कमरे में से होकर बाहर निकलना पड़ता है जिससे प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से नाराज होते है और गाली गलौच करते है। अप्रार्थीगण द्वारा कई बार प्रार्थीगण से मकान में कन्स्ट्रक्शन कार्य करवाकर अलग से रास्ता (निकास) निकालवाने की बात कही किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उन्हें नजरअन्दाज कर दिया गया और बात–बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगते। प्रार्थीगण द्वारा उक्त मकान पर भी लोन अपने निजी कार्य के लिये अप्रार्थीगण को भ्रम में रखते हुये कन्स्ट्रक्शन के नाम पर लिया और सम्पूर्ण लोन का पैसा अपने निजी कार्यों में लगा दिया गया। जिसकी सूचना तक अप्रार्थीगण को नही दी गई। प्रार्थीगण का व्यवहार अप्रार्थीगण के प्रति विवाह के पश्चात से ही क्रुर एवं असम्मानजनक रहा है। दहेज को लेकर छोटी छोटी बात को लेकर गाली गलौच करना, मारपीट करना आदि करते रहे है। जिसे अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा चुपचाप सहन किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 के देवर का व्यवहार भी विवाह के पश्चात से ही अप्रार्थी क्रम 2 के साथ अनुचित एवं आपत्तिजनक रहा है। गाली गलौच करना मारपीट करना पीहर पक्ष को लेकर ताने मारना। अप्रार्थीगण का व्यवहार प्रार्थीगण के प्रति सम्मानजनक रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा केवल प्रार्थीगण से मकान का कन्स्ट्रक्शन का कार्य करवा कर अपने निकास का अलग से मार्ग निकलवाना चाहते है। जिससे बार बार प्रार्थीगण के कमरे में से न निकलना पड़े और किसी प्रकार के प्रार्थीगण के ताने अप्रार्थीगण को न सुनन पड़े। प्रार्थीगण द्वारा केवल अप्रार्थीगण को घर से बाहर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

निकालने पर आमादा है। और झूठे केस में फंसाने और झूठे केस करके अप्रार्थीगण पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थीगण के व्यवहार के कारण अप्रार्थीगण से मिलने उनका कोई भी रिश्तेदार मकान में प्रवेश नही कर सकता और न ही उनसे मिल सकता है। जिसके कारण अप्रार्थीगण सदैव मानसिक तोर से पीड़ित व बीमार रहते है और चिडचिडापंन बना रहता है। अप्रार्थीगण का विवाह हुये करीब 07 वर्ष हो गये है, सगाई के बाद से ही सास ससूर ने दहेज की बात करना शुरू कर दिया जिस पर अप्रार्थीया निर्मला के घर वालों ने इनकी सारी मांगे पूरी की जब अप्रार्थीया निर्मला शादी के बाद घर आई तो ससुराल वालों के व्यवहार में अलग ही परिवर्तन सा आ गया, जब अप्रार्थीया निर्मला गर्भवती हो गई तो ससुराल वालों ने खाने पीने को नही देते थे , एक कमरे में बन्द करके रखते थे, मैन गेट का ताला लगाकर रखते थे, घर वालों एवं बाहर वालों से फोन पर बात नही करने देते थे, अप्रार्थीया निर्मला का ससुर एवं उनके दोस्त उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, गाली देना, हाथ लगा–लगा कर बाते करना आदि, जैसे जैसे समय बीत गया, 01.10.2016 को अप्रार्थीया निर्मला का हाथ पकड़ कर ससूर जी ने घर से बाहर निकाल दिया कि हमारे घर पर तेरी डिलेवरी के पैसे नही है जा अपनी मॉ के घर जहां पर 18.11.2016 को बेटा पैदा हुआ, जिसका सारा खर्चा पीहर वालों ने उठाया। उक्त पुत्र की ससुराल सूचना दी तो फोन काट दिया, ओर कोई पूछताछ नही की और ढाई वर्ष का समय गुजर गया, जिस पर हमने कोर्ट में अर्जी लगाई, तब अप्रार्थीया निर्मला को ससुराल आने दिया घर पर आये हुये 04 दिन ही हुये थे कि ससुर जी ने बच्चे को धक्का देकर सीढियों से गिरा दिया और उसे मेरा देवर मेरे बच्चें को मारने पीटने की कोशिश कई बार करता रहा और कई बार मारपीट भी की। इसी क्रम में एक दिन बच्चा छत पर खेल रहा था तो उसके साथ से लकड़ी गिर गई तो सास व देवर ने मेरे बच्चे के साथ मारपीट की , जिस पर मैंने बच्चे को बचाया तो मेरा देवर मेरे मारपीट करने लगा और मेरा ब्लाउज पकड़ कर सीढ़ियों पर गिरा दिया और मारपीट करने लगा, और दोनो मॉ बेटे मुझे बन्द करके बाहर भाग गये, इस सब की मैने भीमगंजमण्डी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी, उन्होने मेडिकल भी कराया गया उक्त घटना 27 अगस्त की थी। अप्रार्थीगण को अपने सास ससुर के कमरे में से होकर ही आना जाना पड़ता है, इसी कारण जब भी अप्रार्थीगण का बच्चा पढ़ने के लिये चला जाता है तो प्रार्थीगण कभी भी बाहर से ताला लगाकर कहीं पर भी चली जाते है और परेशान करते है। इस कारण से बच्चे का बाहर खेलने जाना, टयूशन, स्कूल आदि भी बन्द हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की शादी में जो जेवर मिला था वही भी सारा हमारे से पूछे बिना ही निकाल कर ले गये। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थीगण मकान से बेदखल कर उसे बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण आए दिन लडाई झगडा करते है तथा अप्रार्थी नं 2 झूठे प्रकरण दर्ज करवाती रहती है अगर उन्हे बेदखल नही किया गया तो वह वह कोई भी बडी घटना कारित कर सकते है अप्रार्थीगण मौके की तलाश मे रहते है और कई बार प्रार्थीगण के साथ हाथापाई कर चुके है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

डण्डो से हाथो से मारपीट की जिसकी रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया लेकिन परिवार की बात कहकर रिपोर्ट दर्ज नही की। पत्रावली का अवलोकन करने पर हम पाते है कि प्रार्थीगण की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है। जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। प्रार्थीगण द्वारा मारपीट के सम्बंध में भी सम्बंधित थाने में पेश की गई रिपोर्ट की प्रति एवं मारपीट के सम्बंध में किसी प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत नही की गई है जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान मकान नं0 233 आदर्श नगर खेड़ली फाटक कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा